



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269891
CG-DL-E-07022026-269891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 474]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

का.आ. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4732(अ) तारीख 17/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले में NH1 के कि.मी. 17+400 से कि.मी.101+000 (श्रीनगर-बारामूला-उरी मार्ग) डेलिना फ्लाईओवर (पैकेज-1D) तक के भूखण्ड के निर्माण,(चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2/4 लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05/11/2025" को "राइजिंग कश्मीर" और तारीख "05/11/2025" को "श्रीनगर न्यूज" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारामूला जिले में NH1 के कि.मी. 17+400 से कि.मी. 101+000 (श्रीनगर-बारामूला-उरी मार्ग) डेलिना फ्लाईओवर (पैकेज-1D) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: बारामूला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारामूला					
गांव का नाम: देलिना					
1	3650	सरकारी (शामिलात देह)	अबी वारी	0.0072	शमिलत देह (महफूज कहचरी) 3650
2	4470 मिन	निजी	बंजर क़ादीम	0.0329	बशारत मकबूल पुत्र मोहम्मद मकबूल पर्रे 4470 Min
3	4470 मिन	निजी	बंजर क़ादीम	0.0025	जब्बार पुत्र गनी हाफ बशारत मकबूल पुत्र मोहम्मद मकबूल पर्रे, जब्बार पुत्र गनी 18.5 मरला और बशारत मकबूल पुत्र मोहम्मद मकबूल 16.5 मरला पर्रे, गैर मुमकिन रास्ता 4470 Min
4	6136/3649	निजी	अबी वारी	0.0031	बशीर अहमद पुत्र मोहम्मद सुल्तान चोपन 6136/3649
Total				0.0457	

[फा. सं. 1/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 503(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.4732(E) Dated:17/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-

section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction(widening two lane/four-laning etc.) Maintenance, management and operation of NH-1 in the stretch of land from **Km. 17+400 to Km.101+000 (Srinagar-Baramulla-Uri Road) Delina Flyover (Package-1D)** in the district of **BARAMULLA** in the state of **JAMMU & KASHMIR (UT)**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Rising Kashmir**” dated **05/11/2025** , “**Srinagar News**” dated **05/11/2025** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-1 in the stretch of land from **Km. 17+400 to Km. 101+000 (Srinagar-Baramulla-Uri Road) Delina Flyover (Package-1D)** in the district of **BARAMULLA** in the state of **JAMMU & KASHMIR(UT)**.

State: JAMMU & KASHMIR			District: BARAMULLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baramulla					
Village: DELINA					
1	3650	Government (Shamilat Deh)	Abi-Wari	0.0072	Shamilat Deh (Mehfooz Kahcharie) 3650
2	4470 Min	Private	Banjar Qadeem	0.0329	Basharat Maqbool S/o Mohammad Maqbool Parray 4470 Min
3	4470 Min	Private	Banjar Qadeem	0.0025	Jabbar S/o Gani half Basharat Maqbool S/o Mohammad Maqbool Parray, Jabbar S/o Gani 18.5 Marla Basharat Maqbool S/o Mohammad Maqbool 16.5 Marla Parray, Gair Mumkin Rasta 4470 Min
4	6136/3649	Private	Abi Wari	0.0031	Bashir Ahmad S/o Mohammad Sultan Chopan 6136/3649
Total				0.0457	

[F. No. 1/3D]
SAIKH AMINKHAN, Director